न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 132/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 24/11/2025
निर्णय दिनांक– 24/11/2025

अनवान

1. महेन्द्रलाल रेगर पिता खेमराज रेगर निवासी काकरोद तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 185, खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 167/2, खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 301 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम महेन्द्रलाल पुत्र खेमराज दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी महेन्द्र लाल रेगर पुत्र खेमराज रेगर शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 185, खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 167/2, खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 301 में प्रार्थी का नाम महेन्द्रलाल पुत्र खेमराज दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थी के पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, डाईविंग लाइसेंस, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम महेन्द्र लाल रेगर पुत्र खेमराज रेगर दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 185, खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 167/2, खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 301 में महेन्द्रलाल पुत्र खेमराज के बजाय महेन्द्र लाल रेगर पुत्र खेमराज रेगर दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद के खाता संख्या 25 के खसरा संख्या 185, खाता संख्या 155 के खसरा संख्या 167/2, खाता संख्या 64 के खसरा संख्या 301 में महेन्द्रलाल पुत्र खेमराज के बजाय महेन्द्र लाल रेगर पुत्र खेमराज रेगर नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तद्नुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द